बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

आदेश

आदेश संख्याः– 3/अ0प्र0–1–243/2011 2443 /पटना, दिनांक :– 18.12.2020

श्री नरेश कुमार, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, भभुआ–2 (सम्प्रति कार्य प्रमंडल मोहनियाँ) के विरूद्ध वर्ष 2011 में SRE मद अंतर्गत योजना संख्या 6/2007–08 कुदरा थाना चाहरदिवारी एवं पहुँच पथ में मिट्‌टी कार्य का गलत विपत्र तैयार करने संबंधी आरोपों पर आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक 163 दिनांक 18.01.2018 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई।

उक्त के प्रसंग में श्री कुमार द्वारा पत्रांक 01 दिनांक 07.09.2018 के माध्यम से समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त कुदरा थाना चहारदीवारी एवं पहुँच पथ निर्माण कार्य में मिट्‌टी कार्य का विपत्र फर्जी होने का आरोप अप्रमाणित पाया गया, किन्तु मामले की समीक्षा से यह परिलक्षित हुआ कि सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता के बीच आपसी विवाद के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई, जो किसी भी कार्य प्रमंडल के लिए उचित नहीं है।

अतः भविष्य में इसकी पुनरावृति नहीं हो इसके लिए श्री नरेश कुमार, तदेन कनीय अभियंता को 'सख्त चेतावनी' दिया जाता है।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

18.12.20
(कृष्ण मोहन सिंह)
उप सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–243/2011 2443 /पटना, दिनांकः– 18.12.20

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मोहनिया/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–4, ग्रामीण कार्य विभाग/ श्री नरेश कुमार, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, भभुआ–2 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.12.20
उप सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–243/2011 2443 /पटना, दिनांकः– 18.12.2020

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

18.12.20
उप सचिव

(P.N) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih